(15)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 112/2020
मद रफीक पुत्र युसुफ, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी मौहल्ला काजीवाडा, मदीना मस्जिद् के पास, झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.12.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.10.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 112/2020 पर दिनांक 27.10.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1810–1811 दिनांक 27.10.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
8. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2020/113 दिनांक 03.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुताबिक रिकार्ड उपलब्ध नही है जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2020/108 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
4. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
5. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं पत्रांक आरटीआई/2020/113 दिनांक 03.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुताबिक रिकार्ड उपलब्ध नही है जिसकी सूचना प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2020/108 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं